न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 15/2021

प्रार्थी

मोतीराम पुत्र लुम्बाजी, जाति– माली, निवासी– झाडोलीवीर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर, तह0 शिवगंज
(2) ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर, तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रार्थी निगरानकार की ओर से
2. अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, अप्रार्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 23 दिसम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार मोतीराम पुत्र लुम्बाजी, जाति– माली, निवासी– झाडोलीवीर की ओर से यह निगरानी आवेदन, ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने के संबंध में जारी नोटिस क्रमांकःग्रा.पं.झा./2020–21/143 दिनांक 15–02–2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 10–10–2023 को लिखित जबाव प्रस्तुत हुआ।

(3) प्रकरण में दिनांक 16–12–2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के मौजा ग्राम झाड़ोलीवीर में पट्टा शुदा भूखण्ड आया हुआ है, जिसके पट्टा संख्या 2 प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15–04–1988 ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा जारी किया गया था। उक्त पट्टे शुदा भूखण्ड के अलावा प्रार्थी का पुश्तैनी भूखण्ड भी आया हुआ था। प्रार्थी के पट्टा शुदा उक्त भूखण्ड़ की चतुर्दशी पूर्व दिशा में प्रागा पुत्र सांकला का भूखण्ड, पश्चिम में सडक व दरवाजा, उत्तर में शंकर पुत्र पुनमाजी का मकान व दक्षिण में गमना पुत्र जीवाजी माली का भूखण्ड आया हुआ है, जिसका नाप पूर्व पश्चिम 80 फीट व उत्तर–दक्षिण 75 फीट कुल 6000 वर्गफीट है तथा प्रार्थी के कब्जा शुदा भूखण्ड़ का नाप पूर्व–पश्चिम 27 फीट व उत्तर–दक्षिण 75 फीट कुल क्षेत्रफल 2025 वर्गफीट है। इस प्रकार, प्रार्थी के उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड़ व कब्जेशुदा भूखण्ड़ का कुल नाप 8025 वर्गफीट है। प्रार्थी के पट्टे शुदा भूखण्ड पर पुराना केलुपोश का मकान बना हुआ है जो काफी समय पुराना होने से जर्जर होकर धवस्त हो चुका है जो निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ABCD से दर्शाया गया हैं। उक्त भूखण्ड का उपयोग व उपभोग करने का प्रार्थी को कानूनी हक व अधिकार है एवं प्रार्थी के पिता के समय से उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी काबिज होकर चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन के साथ संलग्न नजरी नक्शे में प्रार्थी का भूखण्ड जो मार्क ABCD से दर्शाया हुआ है उसके पूर्व दिशा में प्रागा पुत्र सांकला का भूखण्ड का है और उक्त भूखण्ड के आगे 10 फीट का रास्ता

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

है एवं उत्तर दिशा में शंकर पुत्र पुनमाजी सुथार का भूखण्ड हैं जिसके पश्चिम दिशा में पक्की सड़क आई हुई हैं एवं पूर्व दिशा में 10 फीट की गली है और उत्तर दिशा में भी गली आई हुई हैं व दक्षिण दिशा में गमना पुत्र जीवाजी माली का भूखण्ड है। गमना पुत्र जीवाजी के भूखण्ड का पट्टा संख्या 01 है जो दिनांक 15–04–1988 को जारी किया गया है और उक्त पट्टे में उत्तर दिशा में भी प्रार्थी का भूखण्ड दर्शाया हुआ हैं। इस प्रकार, प्रार्थी के उत्तर व दक्षिण दिशा में दोनो तरफ भूखण्ड आये हुए है जो नजरी नक्शे से स्पष्टतया जाहिर है अर्थात् प्रार्थी के भूखण्ड के आस पास कोई गली आई हुई नहीं है एवं न ही कोई गली स्थित है। ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा प्रार्थी निगरानीकार को उसके पट्टेशुदा भूखण्ड़ में नल व विद्युत कनेक्शन लेने हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांकः 100 दिनांक 16–01–2024 में भी पूर्व दिशा में प्रागा पुत्र सांकलाराम, पश्चिम में सडक व दरवाला, उत्तर में शंकर पुत्र पूनमाजी सुथार व दक्षिण में गमना पुत्र जीवाजी माली का मकान होना दर्शित किया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी के उत्तर व दक्षिण में कोई गली नही है। यह कि ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर में विष्णुकुमार पुत्र प्रागाराम रावल द्वारा एक गलत परिवाद पेश करके ग्राम पंचायत के सरपंच से मेल मिलाप कर प्रार्थी के पश्चिम दिशा में गलत रूप से रास्ता होना बताकर एवं उस पर अतिक्रमण होना बताते हुए व बिना मौके की जांच किये गलत रूप से व्यक्ति विशेष को फायदा देने की गरज से एक तरफा कार्यवाही करते हुए प्रार्थी के भूखण्ड के चारो तरफ बनी हुई कांटो की बाड को उत्तर दिशा के कोने से 27 फीट चौड़ाई में व 75 फीट लम्बाई में पूर्व–पश्चिम में स्थित कांटो की बाड को हटाकर जबरदस्ती रास्ता निकालने पर उतारू है जो नजरी नक्शे में AE व BF लाल पैन से दर्शाया गया है, जबकि प्रार्थी के भूखण्ड के उत्तर दिशा में शंकरजी सुथार की पक्की दिवार बनी हुई है और उसके लगते प्रार्थी का भूखण्ड है और शंकरजी सुथार के भूखण्ड में भी दक्षिण दिशा की ओर प्रार्थी का भूखण्ड दर्शाया गया है जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा शुदा भूखण्ड़ के दस्तावेज से स्पष्ट है। शंकरजी सुथार व प्रार्थी के भूखण्ड के पट्टों का अवलोकन करने पर उक्त दोनो भूखण्ड के बीच में कोई रास्ता दर्शाया हुआ नहीं है एवं न ही कोई रास्ता है। यदि प्रार्थी के भूखण्ड के उत्तर दिशा की ओर कोई रास्ता होता या शंकरजी सुथार के दक्षिण की ओर कोई रास्ता होता तो उक्त पट्टे शुदा दस्तावेज में अंकित चतुदर्शी में रास्ते का अवश्य उल्लेख होता। उक्त पट्टा विलेख 32 साल पुराना दस्तावेज है एवं उक्त पट्टा विलेख, उप पंजीयक कार्यालय, शिवगंज से पंजीयन शुदा दस्तावेज है, फिर भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त दस्तावेजों को नकारते हुए केवल मात्र तानाशाही करते हुए प्रागा पुत्र सांकला रावल से मिलीभगत कर प्रार्थी के पट्टे शुदा भूखण्ड़ पर लगी कांटो की बाड़ को गलत रूप से हटाने पर आमादा है। ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा प्रागाराम पुत्र सांकलाजी रावल के भूखण्ड में यदि ग्राम पंचायत द्वारा गलती से या त्रुटिवश, पट्टा संख्या 28 में पश्चिम दिशा की चतुर्दशी में यदि रास्ता अंकित किया है तो वो ग्राम पंचायत की गलती से दर्ज किया है और उक्त पट्टे में उत्तर दिशा में गलत रास्ता दर्ज होने पर प्रार्थी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह ग्राम पंचायत की भूलवश गलत चतुदर्शी अंकित की गई है और पट्टा संख्या 28 की चतुदर्शी के पूर्व दिशा की ओर रास्ता दर्शाया गया है लेकिन उक्त रास्ते पर शंकर पुनमाजी व प्रागा पुत्र सांकला के उत्तराधिकारीयों ने जो पूर्व दिशा की ओर रास्ता आया हुआ उक्त रास्ते को अवैध रूप से पत्थर डालकर अतिक्रमण कर अपने रास्ते में मिलाकर बंद कर दिया है, लेकिन अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को खुलवाने बाबत् अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं कर पट्टा संख्या 28 में गलत चतुदर्शी अंकित होने के आधार पर प्रार्थी के पट्टे में से विष्णु रावल को फायदा पहुँचाने के लिए गलत रुप से रास्ता निकालने हेतु नोटिस जारी किया गया है एवं प्रार्थी की भूमि में विष्णु ने जबरदस्ती आगे आकर निर्माण की कोशिश की है। अतः प्रार्थी

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

निगरानीकार का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण के संबंध में जारी नोटिस क्रमांक 143 दिनांक 15–02–2021 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान, अप्रार्थीगण के जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत झाडोलीवीर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमो के परिपेक्ष्य में अतिक्रमी मोतीलाल पुत्र लुम्बाजी माली, निवासी– झाडोलीवीर को उसके पट्टेशुदा भूमि के अलावा भूमि पर किये गये अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाने हेतु नोटिस जारी कर सूचित किया गया है, अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने हेतु सूचित किया है। प्रार्थी को ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत क्षेत्रफल 6000 वर्गफीट का पटटा संख्या 54 दिनांक 05–11–1988 को जारी किया हुआ है एवं प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे के अलावा पट्टे में अंकित नाप से अधिक भूमि जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि है पर अतिक्रमण कर भूमि अपने कब्जे में ली व ताजा एवं अस्थाई निर्माण किया गया। यदि प्रार्थी का इस भूमि पर पुराना कब्जा होता तों पटटा संख्या 54 की चर्तुदर्शी में प्रार्थी स्वयं का नाम पडोस में अंकित होता, तथा यदि प्रार्थी का उक्त अतिक्रमित भूमि पर पुराना कब्जा होता तों वर्ष 1988 में जारी पट्टा में उक्त भूमि सम्मिलित कर भूमि का नियमन हो सकता था क्योकि उक्त नियम 266 में नियमन भूमि का दायरा सीमित नही था। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने पट्टे के अलावा ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि पर बाद में अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को क्षेत्रफल 6000 वर्गफीट का पटटा संख्या 54 दिनांक 05–11–1988 को तथा गमना पुत्र जीवाजी को क्षेत्रफल 6000 वर्गफीट का पटटा संख्या 53 दिनांक 05–11–1988 को जारी किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा विष्णु कुमार की शिकायत व पट्टा के आधार पर यह निगरानी आवेदन पेश किया है, किन्तु उसको जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया हैं, जो कानूनन गलत है। यह कि मौके की जांच उपरान्त मौके पर प्रार्थी का उसके पट्टेशुदा भूमि के अतिरिक्त भूमि पर अतिक्रमण प्रमाणित होने पर पंचायत द्वारा विधिक कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमित भूमि पंचायत की स्थावर सम्पत्ति है एवं ग्राम पंचायत, विधि में प्रदत्त कर्तव्यों कृत्य, शक्तियों का पारदर्शिता अपनाते हुए निर्वहन करती है। प्रार्थी के पट्टे से अधिक भूमि अतिक्रमित भूमि थी जिसे विधिक कार्यवाही उपरान्त बेदखल किया गया है वर्तमान में उक्त भूमि पर पंचायत का कब्जा है तथा ग्राम पंचायत द्वारा भविष्य में कोई अतिक्रमण नहीं करे, इसके लिए तारबन्दी करवा दी गई है। जहां तक, प्रार्थी का पट्टाशुदा भूमि में से रास्ता निकालने का कथन है तो इस सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी का पटटा केवल 6000 वर्गफीट का है जो उसके कब्जे में है पट्टा से अधिक भूमि अतिक्रमित भूमि थी जिसका निस्तारण बेदखली कर किया जा चुका है, क्योकि अतिक्रमित भूमि के निस्तारण का दायित्व ग्राम पंचायत में निहित है। पंचायत नियमों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पारदर्शिता अपनाकर भूमि का निष्पादन करने के लिए सक्षम एवं सशक्त है। यह कि प्रार्थी श्री मोतीराम (मोतीलाल) पुत्र लुम्बाजी माली, निवासी– झाडोलीवीर ने अप्रार्थीगण व विष्णु पुत्र प्रगाजी रावल, निवासी– झाडोलीवीर के विरुद्ध स्थायी एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का एक वाद माननीय सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, शिवगंज, जिला–सिरोही में प्रस्तुत किया है जिसके वाद संख्या 04/2021 है एवं माननीय सिविल न्यायालय व.ख. शिवगंज ने दिनांक 04–01–2021 को उक्त प्रकरण मे यह टिप्पणी की है कि प्रार्थी के हक में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है तथा मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा जिन तथ्यों व आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है उन्ही तथ्यों व आधार का उल्लेख प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद में किया गया है। इस प्रकार, समान स्थिति व तथ्यों के

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रकरण, दो अलग अलग न्यायालयों में दर्ज है एवं माननीय सिविल न्यायालय, शिवगंज में पूर्व से ही प्रकरण विचारधीन है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही है। अतः प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा प्रार्थी मोतीराम पुत्र लुम्बाजी माली, निवासी– झाडोलीवीर के विरुद्ध नोटिस क्रमांकःग्रा.पं/2020–21/143 दिनांक 15–2–2021 को जारी कर सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 25–01–2021 के प्रस्ताव संख्या 3 में नई आबादी भूमि पर आप मोतीराम पुत्र लुम्बाजी द्वारा अतिक्रमण किया जाने से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के लिये तहसीलदार, शिवगंज को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, इस हेतु दिनांक 15–2–2021 को मौके पर उपस्थित होकर पट्टाशुदा भूमि का सीमांकन करना है, इसलिये उक्त भूमि के अलावा किये गये अतिक्रमण को स्वयं हटावे, अन्यथा अतिक्रमण हटाने में होने वाला समस्त खर्चा आप से वसूल किया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वंय की रहेगी।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज के पत्र क्रमांकःपंसशि/पंचायत/2021/326 दिनांक 28–01–2021 से मोतीराम पुत्र लुम्बाजी, जाति– माली, निवासी– झाडोलीवीर को श्री विष्णुकुमार पुत्र प्रागाराम रावल, निवासी– झाडोलीवीर के परिवाद के संबंध में नोटिस जारी कर पट्टा संख्या 54/15–4–88 नाप 80x75 वर्गफीट भूखण्ड के पैमाईश के समय उपस्थित रहने व अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज के आदेश क्रमांकःपंसशि/जांच/2020–21/331 दिनांक 29–01–2021 से विष्णु कुमार पुत्र श्री प्रागाराम रावल, निवासी– झाडोलीवीर के परिवाद के संबंध में जांच हेतु कमेटी का गठन किया गया है तथा ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर के पत्र क्रमांकःपंचायत/2021/134 दिनांक 02–2–2021 से श्री मोतीराम पुत्र लुम्बाजी माली, निवासी–झाडोलीवीर को उसके प्लॉट व प्रागाराम पुत्र सांकलाजी रावल, निवासी– झाडोलीवीर के बीच अतिक्रमण के संबंध में शिकायत की जांच विचाराधीन होने के कारण निर्माण कार्य नही करने व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सूचित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 16–2–2021 (जो श्री विष्णु कुमार पुत्र प्रागाराम रावल, निवासी– झाडोलीवीर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में दर्ज अतिक्रमण के संबंध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज के आदेश क्रमांकःपंसशि/जांच/2020–21/331 दिनांक 29–01–2021 से गठित कमेटी द्वारा तैयार की गई है) के अवलोकन से यह पाया गया कि मौके पर मोतीलाल पुत्र लुम्बाजी माली के कब्जेशुदा प्लॉट का नाप किया गया, उत्तर से दक्षिण की तरफ 110 फीट व पूर्व से पश्चिम की ओर 88 फीट मौके पर कब्जा पाया गया, जबकि पट्टे अनुसार इनके उत्तर से दक्षिण की ओर 80 फीट व पूर्व से पश्चिम की ओर 75 फीट है। उत्तर की तरफ अतिक्रमी द्वारा घरेलु सामान व चारपाई वगैरह खुले में रखी गई थी, मौके पर किसी तरह से कोई निर्माण किया हुआ नही था। शंकरलाल पुत्र पूनमाजी माली के दक्षिण की दीवार से 25 फीट अतिक्रमण हटाते हुए खाई खोदी गई व खाली की गई भूमि में पडे सामान को समझाईश कर हटाने के लिये पाबन्द किया गया तथा खाली की गई भूमि का कब्जा ग्राम पंचायत को सुपर्द किया गया। उक्त मौका फर्द रिपोर्ट पर

........पेज पांच पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

गठित कमेटी, सरंपच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर, पटवारी झाडोलीवीर, भूअभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार शिवगंज आदि के हस्ताक्षर किये हुये है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 20–2–2021 (जो ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी, उप सरपंच, वार्ड पंच व अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार की गई है) के अवलोकन से यह भी पाया गया कि ग्राम झाडोलीवीर की नई आबादी भूमि में दिनांक 16–2–2021 को जो अतिक्रमण हटाया गया था उस पर पुनः श्री मोतीलाल द्वारा अतिक्रमण कर दिया था उसे मय पुलिस जाब्ता के जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया एवं पंचायत का सूचना बोर्ड लगाकर तारबन्दी की गई। इस प्रकार, उक्त दोनों मौका फर्द रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, झाडोलीवीर द्वारा विधि अनुरुप कार्यवाही करते हुए प्रार्थी निगरानीकार मोतीराम पुत्र लुम्बाजी माली, निवासी– झाडोलीवीर द्वारा किये गये अतिक्रमण को मौके से हटाकर भूमि को पंचायत के कब्जे में ले लिया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है श्री मोतीराम पुत्र लुम्बाजी माली, निवासी– झाडोलीवीर द्वारा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय, शिवगंज में एक वाद वास्ते स्थाई एवं आदेशात्मक निषेधज्ञा का अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिससे संबंधित दीवानी विविध प्रकरण संख्या 04/2021 में माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय, शिवगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–2–2021 के अनुसार माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय, शिवगंज ने भी प्रार्थी के हक में किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित होना नही माना है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही